विद्यार्थियों के लिए सामान्य नियम
(Common Rules for Students)

इस महाविद्यालय को जो यश प्राप्त हुआ है। उसका कारण विद्यार्थियों का सदाचार व्यवहार एवं उत्तम परीक्षाफल है। किसी संस्था की प्रगति एवं सुव्यवस्था बनाये रखने के लिए निम्नलिखित नियमों का अनुपालन करना अनिवार्य होगा।

- समस्त विद्यार्थियों को महाविद्यालय में ड्रेस में आना अनिवार्य है।
- छात्र/छात्राओं को ड्रेस में न आने पर महाविद्यालय द्वारा दण्डित किया जायेगा।
- विद्यार्थी अपने वाहनों (साइकिल, मोटर साइकिलें, स्कूटर) को निर्धारित स्थल पर ही खड़ा करें। वाहन स्थल के अतिरिक्त महाविद्यालय परिसर में अन्य स्थान पर वाहन रखना पूर्णतया वर्जित है।
- महाविद्यालय की सम्पत्ति को हानि नहीं पहुँचाना चाहिए। दीवारों पर पोस्टर चिपकाना अथवा लिखना निषिद्ध है।
- गुरूजनों एवं एक दूसरे का आदर करना चाहिए। विद्यार्थियों को साधारणतया ऐसा व्यवहार करना चाहिए जिससे कि वे अपने माता-पिता, गुरूजनों एवं संस्था का नाम ऊँचा कर सके।
- महाविद्यालय परिसर में छात्रों द्वारा पान, गुटखा, तम्बाकू, सिगरेट आदि लाना एवं प्रयोग करना पूर्णतः वर्जित है।
- विद्यार्थियों को परीक्षायें गम्भीरतापूर्वक देनी चाहिए। उन्हें यह अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए कि किसी परीक्षा में सम्मिलित न होने पर उनकी पुनः परीक्षा नहीं होगी।
- ऐसा व्यक्ति जिसका महाविद्यालय में प्रवेश नहीं है। कक्षा में नहीं बैठ सकता।
- महाविद्यालय में रैगिंग पूर्णतया प्रतिबन्धित है। ऐसा करने वाले छात्र को महाविद्यालय से निकाल दिया जायेगा।
- ड्रेस बालकों हेतु- सफेद शर्ट ग्रे (सलेटी रंग) पैन्ट काले जूते।
- ड्रेस बलिकाओं हेतु- कुर्ता (सलेटी रंग) सलवार- सफेद रंग दुपट्टा - सफेद रंग काले जूते।
- अनुशासन एवं व्यवस्था सम्बन्धी विषयों में प्राचार्य का निर्णय अन्तिम होगा।